



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 66/2022

गुरदीप सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. मलकीत सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह
2. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह
3. गुरभेज सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह
4. गुरमीत कौर पुत्री श्री नाजर सिंह
5. गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह
6. गुरमीत कौर पत्नी श्री जगदेव सिंह
7. जगसीर सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह
8. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह
9. जसवीर कौर पुत्री श्री जवाहर सिंह
10. तरसेम सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह
11. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री करतार सिंह
12. गुरदेव सिंह पुत्र श्रीमती मुख्त्यार कौर
13. बलजीत सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह
14. भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

जाति समस्त जटसिख निवासी
जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :-14.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्त्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2023/209 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. गुरदीप सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के कब्जा काशत की भूमि चक नं. 7 एन.के.आर. खाता सं. 113/8 प.नं. 136/150 मु.नं. 16 कि.नं. 3/0.253, 4/0.253 है. 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 है. गै.मु. प.नं. 137/149 मु.नं. 12 कि.नं. 21,22/0.253 है.प्र., प.नं. 137/150 मु.नं. 15 कि.नं. 1,2,9,10,12/1.265 है. कि.नं. 11/1/0.126 है. नहरी। चक नं. 7 एन.के.आर. खाता सं. 40/30 प.नं. 136/150 मु.नं. 16 कि.नं. 1/0.253 है. इस प्रकार प्रकार कुल 2.884 है. नहरी, 0.025 गै.मु. रास्ता कुल 2.909 है. नहरी मय गै.मु.।

2. (1) गुरभेज सिंह पुत्र मलकीत सिंह का 1/2 हिस्सा जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान (2) गुरविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह का 1/2 हिस्सा जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान के कब्जा काश्त की भूमि चक नं. 7 एन.के.आर. खाता सं. 113/8 प.नं. 137/150 मु.नं. 15 कि.नं. 11/2/0.127 है. कि.नं. 20,22,23,24/0.253 है.प्र., कुल 1.012 है. कि.नं. 25/1/0.228 है. कि.नं. 25/2/0.025 है.गै.मु. प.नं. 137/151 मु.नं. 22 कि.नं. 3/1/0.228 है. कि.नं. 3/2/0.025 है. गै.मु. कि.नं. 4/1/0.228 है. कि.नं. 4/2/0.025 है. गै.मु. कि.नं. 5/1/0.202 है. कि.नं. 5/2/0.051 है. गै.मु. इस प्रकार कुल 2.025 है. नहरी व 0.126 है. गै.मु. खाला इस प्रकार कुल 2.151 है. नहरी मय गै.मु. ब.हि.ब.।
3. जगसीर सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान के कब्जा काश्त की भूमि चक नं. 7 एन.के.आर. के खाता सं. 113/8 प.नं. 137/151 मु.नं. 22 कि.नं. 6/1/0.228 है. कि.नं. 6/2/0.025 है. गै.मु. इस प्रकार कुल 0.253 है. नहरी मय गै.मु. खाला।
4. गुरमीत कौर पत्नी जगदेव सिंह, जगदेव सिंह पुत्र जीत सिंह ब.हि.ब. जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान के कब्जा काश्त की भूमि चक नं. 7 एन.के.आर. खाता सं. 40/30 प.नं. 136/150 मु.नं. 16 कि.नं. 8,9,10,11,12,13,18,19,20,22,23/0.253 है.प्र. नहरी इस प्रकार कुल 2.783 है. नहरी।
- उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जा काश्त के अभाव में नियमानुसार कलमजन किये जावे।
- नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।
- निज....x.....निल....x.....मुब्लिक....x.....निल.....x.....बाबत.....x.....निल..100/-...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...x.....को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
- बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.02.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

